International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030
Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 2; Issue 5; September 2017; Page No. 933-937

अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक स्थिति एवं प्रशासनिक आयाम

प्रो॰ विष्णु भगवान[1], नरेन्द्र कुमार[2]
[1] अधिष्ठाता, सामाजिक विज्ञान संकाय, लोक प्रशासन विभाग, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा, हरियाणा, भारत।
[2] लोक प्रशासन विभाग, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा, हरियाणा, भारत।

प्रस्तावना

प्रशासन के अर्थ के संबंध में विचार करने से पहले हम प्रशासन शब्द के अर्थ को जान लेना आवश्यक है। प्रशासन कुछ सामान्य लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में मानवी सहयोग का एक प्रयास है। इसलिए प्रत्येक संगठन के कार्यकलापों में प्रशासन की भूमिका होती है, फिर चाहे वह परिवार, स्कूल, विश्वविद्यालय, कारखाना, अस्पताल या सरकारी विभाग हो। जब भी दो या इससे अधिक लोग किसी कार्य को शुरू करने मे सहयोग करते हैं, वे उस कार्य को अकेले पूरा नहीं कर सकते हैं ऐसे में प्रशासन की अवधारणा उभर कर सामने आती हैं।

प्रशासन शब्द लैटिन भाषा के ऐड और मिनिस्ट्रेट से लिया गया है जिसका अर्थ सेवा करना होता है। सरल भाषा में इसका अर्थ 'कार्य प्रबंधन' या 'लोगों की देखभाल करना' है। एडमिनिस्टर को अर्थ व्यवस्था दिशा देना, व्यवस्था और सर्व करना है।[1]

सामाजिक प्रशासन

योजनाओं के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्ववारा सामाजिक नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण करती है, तथा इन नीतियों को लागू करने के लिए तथा सही तरीके से चलाने के लिए सामाजिक कानूनों को पारित करती है, और इनके उद्देश्य को पुरा करने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता आबंटन और प्रावधानों को मंजूरी प्रदान करती है। इसके साथ मंत्रालयों और विभागों के रूप में भी संगठनात्मक तथा प्रशासनिक संबंधों को भी प्रदान करता है। इसके साथ ही अनेक समाज कल्याण कार्यक्रमों को सही रूप से लागू करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों के साथ मिलकर भी गतिविधियां की जाती है। इन सभी गतिविधियों के प्रशासन को समाज सेवाएं और समाज कल्याण में लिया जाता है जो अन्ततः समाज कल्याण प्रशासन के क्षेत्र में समेंलित की जाती है।[2]

ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

अनुसूचित जाति के लोगों को संविधान में वर्णिन न केवल कुछ संरक्षण ही प्रदान किए गए हैं बल्कि इनकी वित्तीय दशा को सुधारने के उद्देश्य से कई कदम भी बढ़ाए गए है। संविधान के अनुच्छेद 46 में बताया गया है कि राज्य सरकार जनता के बुरे हालातों की विशेषतः अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के शिक्षा तथा आर्थिक हितों की विशेष सुरक्षा से तरक्की करेगी तथा सामाजिक अन्याय और सब प्रकार के होने वाले अत्याचार से सुरक्षा करेगी। इसका अनुसरण करते हुए इन जातियों के लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरूवात करने के उद्देश्य से भारत सरकार के साथ–साथ राज्य सरकारों ने भी धन की व्यवस्था की, इन जातियों की सामाजिक दशा को ठिक करने के लिए पंजाब सरकार ने एक कानून बनाया था जिसका नाम धार्मिक एवं सामाजिक निरयोग्यता उन्मूलन अधिनियम 1948 के नाम से जाना जाने लगा। इसका उद्देश्य भेदभाव कम करना था। वर्ष 1955 में भारत सरकार द्वारा बनाये गये अस्पृश्यता अपराध 1955 से जाना जाने लगा। जो कि अब सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के नाम से पहचाना जाता है। अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को होटलों, कुओं को मनोंरजन स्थानों, तालाबों तथा मन्दिरों में जाने से रोकना अपराध हैं। इनको वहा जाने से रूकने वालो को कठोर दण्ड दिया जाता है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अनुसार प्रत्येक जिला मुख्यालय पर वरिष्ठतम अपर सब न्यायधीश को पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का निपटाने के लिए विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किया गया है। उपरोक्त न्यायालयों की स्थापना के साथ–साथ ही न्याय एवं प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना से लोक अभियोजकों को इन विशेष न्यायालयों में मामलों विभागों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियोजक की नियुक्ती की गई है।[3]

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति वित्त तथा विकास विभाग की स्थापना भारत सरकार द्वारा 8 फरवरी 1989 को की हुई थी, जिसका नाम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति वित्त तथा विकास निगम पड़ा। इसे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत अनुच्छेद 25 के अधीन एक पूर्ण रूप से सरकारी कंपनी को शामिल कर लिया गया है।

इसमें गरीबी रेखा से दोहरा नीचे बसर रहने वाले लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए मुहैया कराने और फंड की उपलब्धता का कार्य सौंपा गया है। यह संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों प्रशासन द्वारा नामित, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी के जरिए संगठीत समूहों के लिए आय सृजन योजनाओं हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करते है। इस प्रकार प्रबंधन एक निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार, और राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम, अनुसूचित जातियों के वित्तीय संस्थान तथा गैर–सरकारी सदस्य भी शामिल होते हैं।[4]

उद्देश्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति वित्त तथा विकास निगम गरीबी रेखा से दोहरा नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों के लोगो को आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और अन्य स्त्रोतों से वित्त तथा फंड उपलब्ध कराने वाली मुख्य संस्थान है।

अधिनियम

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की सं.33 ऐसा अधिनियम जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के खिलाफ होने वाले अत्याचार के अपराधों को रोकने का काम करता है। ऐसे अपराधों के लिए विशेष अदालत की सुविधा प्रदान करना है तथा ऐसे अपराधों के शिकार व्यक्तियों को राहत व पुनर्वास की भी सुविधा प्रदान करना है।[5]

अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा

सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्रालय अनुसूचित जातियों के हितों की देखभाल करने वाला प्रमुख मंत्रालय है। अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करने के लिए मुख्य जिम्मेदारी केंद्र तथा राज्य सरकारों के सभी मंत्रालयों के अपने–अपने कार्य क्षेत्रों में तो है ही, साथ ही यह मंत्रालय विशेष रूप से तैयार योजनाओं के जरिए मुख्य क्षेत्रों में सबसे पहले इस कार्य को और आगे बढ़ाता है। राज्य सरकारों तथा केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा अनुसूचित जातियों के हितों की सुरक्षा तथा उन्हें बढ़ावादेने के कार्य की पूरी तरह नगरानी रखी जाती है।

अनुसूचित जाति विकास ब्यूरो के तहत यह मंत्रालय अनुसूचित जाति उप–योजना का कार्यक्रम करता है, जो अनुसूचित जातियों के फायदे के लिए सभी सामान्य विकास क्षेत्रों से लक्ष्य वित्तीय तथा भौतिक लाभों के करने वाली एक मुख्य विभाग है। इस रणनीति के तहत राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों को उनकी वार्षिक योजनाओं के एक हिस्से के रूप में अनुसूचित जातियों की विशेष घटक योजनाओं का संचालन तथा शुरूवात करनी होता है। वर्तमान में 29 राज्य भारत देश में जिनमें बड़ी संख्या में अनुसूचित जातियों के लोग होते है। अनुसूचित जाति उप–योजना का लागू कर रहे हैं।[6]

अनुसूचित जातियों के विकास का अन्य नीति द्वारा प्रयास किया जा रहा है। विशेष घटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता, जिसमें राज्यों और केन्द्र प्रदेशों को अनुसूचित जाति के लोगों को उपयोजनाओं की शत–प्रतिशत सहायता दी जाती है, जिसके कुछ–आधार हैं जैसे–राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या, राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जाति का तुलनात्मक पिछड़ापन, राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जाति के परिवारों को गरीबी की रेखा से नीचे से ऊंचा उठाने के लिए लागू सामूहिक आर्थिक विकास कार्यक्रमों की प्रतिशतता, राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों की अनुसूचित जनसंख्या की प्रतिशतता के मुकाबले वार्षिक योजना के लिए अनुसूचित जाति उप–योजना की प्रतिशतता। इस मंत्रालय के अन्तर्गत गठित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम गरीबी की रेखा से दोगुना नीचे बसर करने वाली अनुसूचित जातियों के लोगों की आय सृजन गतिविधियों के लिए ऋण सुविधा दी जाती है। आज के समय में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रू. 40,000 वार्षिक तथा शहरी इलाकों के लिए रू. 55,000 वार्षिक बजट रखा गया है।[7]

अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा का प्रशासनिक ढ़ाचा

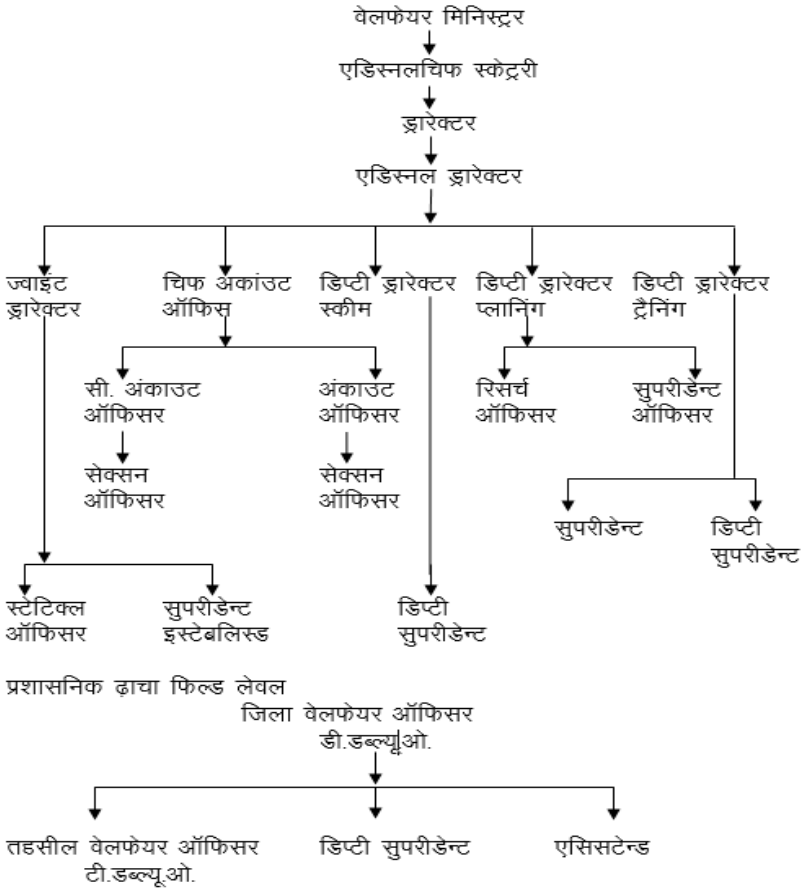

(स्त्रोतः http://haryanascbc.gov.in/organization_structure.htm)

आकृति 1

इस विभाग द्वारा अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग तथा विमुक्त जाति एवं टपरीवास जातियों के कल्याण के लिए बहुत सी योजनाये चलाई जा रही है। ताकि इन जातियों का आर्थिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक उत्थान हो और यह जातियां समाज की दूसरी जातियों के साथ कंधे से कधां मिला कर चल सकें। मंत्री प्रभारी तथा प्रशासकीय सचिव के अलावा निदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग इस विभाग के विभागाध्यक्ष है। जिला स्तर पर जिला कल्याण अधिकारी तथा तहसील स्तर पर तहसील कल्याण अधिकारी विभाग का काम चलाने के लिए नियुक्त किए गए है।[8]

केन्द्रीय बजट

केन्द्रीय बजट में अनुसूचित जाति के लोगों के लिये आवंटन में 35 प्रतिशत अधिक बढ़ोतरी की गई। बित और कारर्पोटर मामलो में मत्री अरूण जेटली ने संसद में 2017–2018 में आम बजट पेश किया। और कहा कि सरकार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिये विशेष कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान दे रही है। बजट 2017–18 में अनुसूचित जातियों के लिये आवंटन 33,833 करोड़ रूपये में बढ़ोतरी करते हुये 52,393 करोड़ रूपये किया गया है।[9]

केन्द्रीय वितमंत्री अरूणा जेटली ने गुरूवार को आम बजट पेश किया। इसमें 2018–19 में अनुसूचित के लिए 56,619 करोड़ रूपये आवंटन किया गया। इसमें अरूण जेटली ने अनुसूचित जाति के समुदाय कार्यक्रमों के लिए है।[10]

अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा की योजनाएं

अनुसूचित जाति के लोगों को दिये जाने वाली निम्नलिखित योजनाएंः–

- **मुख्यमंत्रीविवाह शगुन योजना**
  (क.) इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के वो लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के परिवारों को उनकी लड़की की शादी पर 41,000 रूपये तथा सामान्य एवं पिछड़े वर्ग में आने वाले परिवारों को 11000 रूपये दिये जाते है।
  (ख.) समाज के सभी वर्गो के लोगों के लिए जिनके पास ढ़ाई एकड़ या एक लाख से कम वार्षिक आय है उनको 11000 रूपये की राशि प्रदान की जाती है।
  (ग.) किसी भी जाति एवं आय वर्ग से संबंधी महिला जो कि खिलाड़ी है। उस खिलाड़ी महिला को खुद के विवाह पर 31000 की राशी दी जाती है। बशर्ते कि उसकी 26 ओलम्पिक, 16 गैर–ओलम्कि और 22 टूर्नामैंट/चैम्पियनशिप में से किसी एक में भाग लिया हो।
  (घ.) सभी वर्गो में आने वाली विधवाओं की लड़कियों व सभी वर्गों की तलाकशुदा, निराश्रित, विधवाओं तथा अनाथ वेसहारा बच्चों की खुद की शादी पर, जिनको आय एक लाख से कम हो उनको 51000 रूपये प्रदान किये जाते है।[11]
- **केन्द्रीय प्रायोजित योजना पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत के अन्तर्गतः** वो छात्र आते है जिनके परिवार की आय 2.50 लाख से अधिक ना हो। मैट्रिकोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को 230 रूपये से 1200 रूपये प्रतिमाह छात्रवृति प्रदान की जाती है। इसके अलवा जो फीस लगती है। वो भी वापिस की जायेगी।
- **पिछड़े वर्ग के छात्रों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना :** इस योजना में 160 रूपये से 750 रूपये छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्ष 2015–16 से अन्य पिछड़े में वर्ग में आने वाली छात्राएं जो कि बी.पी.एल. परिवार की है। असहाय, विधवा, एवं अनाथ छात्रों को सभी नॉन रिफण्डेवल फिस की प्रतिपूर्ति की जायेगी। योजना का लाभ उनको ही मिल पायेगा जिनकी आय वार्षिक 1 लाख से अधिक ना हो।
- **डॉ0 अम्बेडकर मेधावी छात्र योजनाः** अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को आगे बढ़ाने की भावना को प्रोत्साहित हेतु पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को कक्षावार 8000 राज्य से 12000 रूपये तथा पिछड़े वर्ग के छात्रो को 10वीं कक्षा में प्रतिशत्ता के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान की जाती है।
- **डॉ. बी.आर. अम्बेडकर आवास योजनाः** इस नवीनीकरण योजना में मकान की मरम्मत के लिए 25000 रूपये दिये जाते है। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के लोग जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवनयापन करते हो। इसके लिए आधार नम्बर, पहले किसी अन्य विभाग से अनुदान ना लिए हो और पहले मकान को दस वर्ष या उससे अधिक समय हो गया हो बनाये। मकान मरम्मत की हालात में होना चाहिये।
- **अत्याचारों से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायताः** किसी और अन्य जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार जैसे दुर्व्यवहार, मारपीट, कत्ल, भूमि पर कब्जा, ड़कैती, बलात्कार व नरसंहार इत्यादि पर अनुसूचित जाति अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत एफ.आई.आर. दर्ज होने पर अत्याचार लोगों को अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण 1995 की वर्ष 2016 से बदलाव अनुसार आर्थिक सहायता तथा अन्य सुविधा प्रदान की जाती है। इसमें 85000 रूपये से 8.25 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
- **मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अन्तर्जातीय विवाह शगुन योजनाः** इस योजना का उद्देश्य समाज में जातिवाद की भावना कम करना है। इस योजना के अन्तर्गत 1,01,000 रूपये की राशी जिसमें से 51,000 रूपये की राशी विवाह के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर वर–वधु के संयुक्त खाते में जमा की जाती है। तथा एक वर्ष साथ रहने पर 50,000 रूपये की राशी दी जाती है। हरियाणा सरकार ने योजना के तहत विभिन्न पात्रता की शर्ते रखी है जैसे प्रार्थी हरियाणा का निवासी होना चाहिए। दोनों की आयु कानूनी रूप से पूरी होनी चाहिए। यह लाभ केवल प्रथम विवाह पर ही मिलेगा।
- **कानूनी सहायताः** हरियाणा राज्य में आने वाले अनुसूचित जाति तथा विमुक्त जाति की सदस्यों को उनके कृषि भूमि/रिहायशी तथा मकान से संबंधित दर्ज मुकद्मों की पैरवी के लिए 11,000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
- **डिबेट एवं सेमीनार –** इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में फैला भेदभाव, ऊंच नीच, छूआछात को दूर करना है। इसमें एक भाषाण प्रतियोगिता तथा लेखन प्रतियोगिता करवाई जाती है। इसमें जिला स्तर पर सभाओं/गोंष्ठियों का आयोजन किया जाता है। इसमें किसी विशेष व्यक्ति को बुलाया जाता है। वह इस समाज के भेदभाव को दूर करने पर एक भाषण देता है। इसमें एक लेखन प्रतियोगिता करवाई जाती है। इसके खर्च में 10000 रूपये की राशी प्रदान की जाती है।
- **पंचायतों को प्रोत्साहनः** अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु सराहनीय कार्य समाज में फैली अनेक कुरतीयों तथा महिलाओं

के लिए विशेष कार्य, स्वच्छता अभियान में आगे रहने वाली पचांयतों को 50,000 रूपये की राशी प्रोत्साहन के एक रूप में दी जाती है।

- **प्रचार–प्रसार योजनाः** अनुसूचित जाति के लोगों को मिलने वाली योजनायें नागरिक सरंक्षण अधिनियम 1995 के अन्तर्गत विभाग द्वारा जागरूक करने के लिए विभागीय योजनाओं का समाचार–पत्रो/मड़िया तथा बुकलेट द्वारा प्रचार–प्रसार किया जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से मिलने वाली सामग्री को सभी उपायुक्तो/पुलिस अधीक्षकों/उप मण्डल अधिकारी नागरिक आदि के कार्यालयों में होडिंग के माध्यम से लगाये जाते है।
- **अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग से संबंधित संस्थाओं एवं सोसायटीज को वितीय सहायता :** अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग से संबंधित संस्थान जो भवन निर्माण, भवन को पूर्ण करने, मरम्मत करवाने, टी.वी., व अन्य उपकरण जो इन समाज के लिए विशेष तौर पर बनाये जाते है। जिस प्रकार पुस्तकालय, पुस्तके खरीदने के लिए दो लाख रूपये दिये जाते है।
- **सफाई तथा जान जोखिम वाले व्यवसायो में लगे लोगों के बच्चों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृति योजना :** सफाई तथा जोखिम कार्य करने वालो के बच्चों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृति योजना चलाई है। इसमें पहली कक्षा में 10 कक्षा तक के छात्रों को 110 रूपये प्रतिमास के हिसाब से तथा 750 रूपये तदर्थ वार्षिक अनुदान प्रदान किया जाता है। होस्टल में रहने वाले छात्रों को 700 रूपये प्रतिमास के हिसाब से 10 मास दिये जाते है। तथा तदर्थ अनुदान 1000 वार्षिक दिया जाता है।
- **अपग्रडेशन ऑफ मैरिट एस.सी. स्टूडेन्टस :** इस योजना में अनुसूचित जाति के छात्रावास में रहने वाले नौंवी कक्षा से 12वीं कक्षा के छात्रों को प्रतियोगिता परिक्षाओं के विशेष तैयारी करवाई जाती है। योजना के अन्तर्गत राशि भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
- **अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को विभिन्न उच्च प्रतियोगी/प्रवेस परीक्षाओं की तैयारी हेतु आर्थिक सहायता योजना :** इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। विभिन्न प्रतियोगी, प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाना अच्छी साख की संस्थाओं में मुफ्त प्रशिक्षण करवाना।[12]
- **बापू जगजीवन राम छात्रावास योजना :** अनुसूचित जाति की छात्राओं के छात्रावास के लिए गैर सरकारी संस्था, विश्वविद्यालय को केन्द्रीय सरकार द्वारा 45 प्रतिशत राशी व 45 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा तथा 10 प्रतिशत स्वंय विश्वविद्यालय वहन करता है। इसी प्रकार सरकारी विश्वविद्यालय के लिए 45 प्रतिशत राशी केन्द्रीय, 55 प्रतिशत राशी राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।
- **अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रवास निर्माण योजना :** अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं के छात्रावास बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को 90 प्रतिशत तथा छात्रों हेतु 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इसी प्रकार निजी विश्वविद्यालय, संस्थानों हेतु 45 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा, 45 प्रतिशत राज्य सरकार तथा 10 प्रतिशत स्वंय लगना पड़ता है। निर्माण लागत की गणना भारत सरकार की हिदायतों अनुसार की जाती है।
- **सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण योजना :** इस योजना का प्रमुख उद्देश्य अनुसूचित जाति की विधवाओं, बेसहारा औरतों व गरीब लड़कियों को सिलाई बढ़ाई का एक वर्ष प्रशिक्षण देकर उन्हे अपनी आजीविका चलाने योग्य बनाना है। इस योजना के तहत 600 रूपये प्रतिमाह छात्रवृति व 300 रूपये मासिक कच्चे माल के लिए दिये जाते है। प्रशिक्षण पूरा करने पर एक सिलाई मशीन मुफ्त दी जाती है।
- **अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों के बेरोजगार युवको का कम्प्यूटर के माध्यम से टंकण तथा डाटा एन्ट्री में कौशल विकास योजना :** इस योजना का प्रमुख उद्देश्य बेरोजगारी आय 1.50 लाख से ज्यादा नहीं है। उनको सरकार द्वारा हाट्रॉन के माध्यम से एक वर्ष का मुफ्त प्रशिक्षण देना। प्रशिक्षण के तहत 250 रूपये प्रति।[13]

प्रशासनिक आयामः कुछ कमियां

- प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति की महिलाओं की योजना का सफलता पूर्वक सचांलन क्रियान्वन नही हो पाता जिस कारण महिलाओं को योजना का लाभ नही मिलता प्रशासन द्वारा योजना चलाने से पहले उसका मूल्यांकन नही किया जाता। जिस कारण योजना शुरू होने से पहले ही अधूरी रह जाती है।
- प्रशासन द्वारा योजना का प्रचार–प्रसार तो किया जाता है। लेकिन ग्रामीण स्तर तक नही पहुंच पाता। प्रचार प्रसार एक मात्र दिखावे के तौरे पर किया जाता है। जिस कारण योजनाओं का सही तरीके से प्रचार आम जनता तक नही पहुंच पाता।
- महिलाओं द्वारा जब योजना का लाभ लेने जाती है। तब प्रशासन द्वारा अनेक कागजी कारवाही तथा ऑनलाईन फार्म भरवाये जाते है। ऑनलाईन फार्म व स्वंय तो नही भर पाती, पर किसी द्वारा भरवाया जाता है। जिस कारण उनको इसका ज्ञान न होने के कारण कई गलती भी हो जाती है। जिस कारण वह योजना का लाभ नही ले पाती।
- प्रशासनिक कर्मचारी महिलाओं के बार–बार कार्यालय के चक्कर कटवाते है। कुछ कर्मचारी को तो योजनाएं का पूरा ज्ञान नही होता। तो वो अपनी कमजोरी के कारण लाभार्थी को बार–बार बुलाते है। जिस कारण घरेलू महिला बार–बार आने के कारण योजना बीच में ही छोड़ देती है।
- प्रशासनिक कर्मचारी अनुसूचित जाति की महिलाओं को योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी नही देते। जिस कारण महिला कार्यालय के ईधर–उधर ही चक्कर काटती रह जाती है। कर्मचारियों द्वारा उनको समय भी ना देना। वह इस कारण दो–तीन बार चक्कर लगाने के बाद कार्यालय आने से ही डरने लगती है।
- विभाग में प्रशासनिक कर्मचारियों की भी कमी देखने को मिलती है। एक कर्मचारी दो या अधिक कर्मचारियों का काम करता है। जिस कारण वह तनाव में रहता है तथा वहां परेशान रहता है। जिस से योजनाओं का कार्य बहुत लेट हो जाता है।
- प्रशासन द्वारा योजना के क्रियान्वयन में अधिकारी या कर्मचारी के माध्यम से होने वाली कमियों/भ्रष्टाचार के लिए उन पर होने वाले कानूनी प्रावधानों को सख्ती से पूरा नहीं किया जाता। जिस कारण वे बिना डर के रिश्वत लेते है।
- प्रशासन द्वारा पंजीकरण में कमी अर्थात उचित व निष्पक्ष पंजीकरण ना करना। कई बार देखने को मिलता है कि अधिकारी व कर्मचारी अपने चहते को योजना का लाभ देते है। कई बार तो एक महिला दो–दो योजना का लाभ उठाती है।
- प्रशासन द्वारा योजना के क्रियान्वयन में बहुत देरी करते है। जिस कारण लाभपात्र को योजना का सही समय पर लाभ नही मिल पाता जैसे मकान मरम्त कन्यादान योजना आदि का समय अनुसार पैसे न मिल पाने के कारण बहुत अधिक परेशानी होती है।

- कर्मचारियों का अपने कार्य के प्रति नैतिक रूप से उतर दायित्व ना होना। कई बार देखने को मिलता है एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी का नाम लेकर काम को मना कर देता है। अपना काम जिम्मेदारी से ना करना अपना काम सरकार की कमी कहकर टाल देना।
- प्रशासन के बहुत से कर्मचारी अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ गलत बर्ताव, सही तरीके से बात ना करना, अश्लील बाते करना, गन्दे कोमेट करते है। जिस कारण महिलाये कार्यालय में जाने से भी कतराती है।

प्रशासनिक आयाम : कुछ सुझाव

1. प्रशासन द्वारा योजनाओं के प्रचार–प्रसार पर अधिक ध्यान देना चाहिये। प्रचार–प्रसार ग्रामीण स्तर तक होना चाहिए यहां पर महिलाओं का संगठन इक्ट्ठा होता है। वहां पर विशेष तौर पर योजनाओं की जानकारी देनी चाहिए।
2. प्रशासन द्वारा सेमिनार, सगोंष्ठी जिसमें योजना की पूरी जानकारी हो। ऐसे सेमिनार, सगोंष्ठी गांव के पचांयत स्तर तक करवानी चाहिये। ये सेमीनार सगोंष्ठी बंद कमरे में ना होकर खुले स्थान में होनी चाहिये। ताकि सारी जानकारी महिलाओं तक पहुंचे।
3. योजना लेने के लिए जो फार्म, ऑनलाईन फार्म भरे जाते है ये सब सरल होने चाहिये। तथा हिन्दी भाषा में होने चाहिये। और फार्म भरने के लिए दिशा निर्देश के पम्पलेट विभाग में होने चाहिये। ऐसे पम्पलेट सेमीनार, सगोंष्ठी में बांटा जाने चाहिये।
4. प्रशासन द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से करना चाहिये। योजना लेने वाली महिलाओं के जो फार्म भरे जाते है उन्हें क्रम अनुसार पूरा करना चाहिये कोई भी फार्म अगर किसी कारणवंश रह गया है तो उसे विशेषतौर पर पूरा करना चाहिये।
5. प्रशासनिक अधिकारी द्वारा विद्यालय व विश्वविद्यालय में समय–समय पर जागरूकता करने वाले सेमीनार लगाने चाहिये। ताकि छात्रायें समय से पहले ही उन योजना का ज्ञान प्राप्त कर सके।
6. महिलाओं के साथ कर्मचारियों द्वारा होने वाले गलत व्यवहार, अशलील हरकते, आदि को काबू पाने के लिए कार्यालय में केमरे लगवाने चाहिये। कर्मचारियों का कार्यालय में समय अनुसार ना मिलना इसलिए उनके लिए बायोमैट्रिक मशीन का प्रयोग करना चाहिये।
7. महिलाओं द्वारा जो फार्म भरे जाते है। वो अगर किसी कारणवंश गलत हो जाये या महिला एक बार कार्यालय आने के बाद ना आ सके। महिला लाभ लेने से रह गई है तो उस महिला से प्रशासन द्वारा सम्पर्क करना चाहिये।
8. प्रशासन में कर्मचारियों की बहुत कमी होती है। सरकार द्वारा प्रशासन में कर्मचारी पूरे किये जाने चाहिये। ताकि एक कर्मचारी ज्याद परेशान ना हो और योजनाओं का काम तेजी से हो सके।
9. कार्यालय में बहुत सारे कर्मचारी होती है। महिलाओं को ये नही पता होता की कौन से कर्मचारी से कौन सा कार्य है। जिस कारण वो ईधर–उधर चक्कर लगाती है। इसलिए सभी कर्मचारियों के नाम, काम, स्थान आदि की जानकारी कार्यालय के नोट्स बोर्ड पर लगानी चाहिये ताकि कम परेशानी हो। अशिक्षित महिलाओं के लिए जानकारी देने के लिए एक कर्मचरी होना चाहिये।
10. प्रशासन के कर्मचारियों द्वारा विभाग में आने वाली अनुसूचित जाति कि महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिये। उनकी समस्या अच्छे तरीक्के से सुनी चाहिये। समस्या का जितना भी हो सके तुरन्त समाधान करना चाहिये। इस व्यवहार से महिलायें अपनी समस्या बेझिझक रख सकेगी।

निष्कर्षः

इस अध्याय को इस तरह से बनाया गया है ताकि आपको प्रशासन, प्रशासन कर्म और अनुसूचित जाति एवं पिछड़े कल्याण विभाग की मूलभूत समझ व जानकारी प्राप्त हो सके। इसमें प्रशासन तथा विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यं क्या है तथा किस प्रकार किये जाते है। अनुसूचित जाति विभाग एवं पिछड़े कल्याण विभाग द्वारा कौन–कौन सी केन्द्रीय–राज्य योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। इस विभाग के प्रशासन की क्या भूमिका है। प्रशासन के कर्मचारी, पद, वेतन की भी समीक्षा की गई है। ताकि अनुसूचित जाति महिलाओं की जो योजनाएं है उसे अच्छे तरीके से क्रियान्वन किया जाएं और अधिक से अधिक महिलाओं को इसके प्रति जागरूक किया जा सके।

सन्दर्भ

1. रमेश भारद्वाज, ''समाज कल्याण प्रशासन : अवधारणा, प्राकृति और क्षेत्र'', कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र, पृ.सं. 85
2. https://sarkaribook.com/lokprashanan.by.laxmikant-freedownload
3. अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग की वर्ष 2013–14 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा।
4. दलीप सिंह, आई.ए.एस., ''अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग की योजना एवं निर्देश'' हरियाणा सरकार, 2006, पृ. 117–132।
5. www.wikipedia.com.2017
6. hi.wikipedia.in- 10/10/2017
7. दलीप सिंह, आई.ए.एस., ''अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग की याजनाएं व निर्देश'' हरियाणा सरकार, 2006, पृ. 1–2।
8. अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग की वर्ष 2013–14 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा।
9. www.amarujjala.updated.nic.in, 02, Feb. 2017
10. https://khabar.ndtv.com/news/budget-2018 Eddited by: अनकेश कुशवास न्चकंजमकए 1 फरवरी, 2018, 3:03PM.
11. डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी, ''अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा'', हरियाणा सहकारी प्रैस 165–166, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–1, चण्डीगढ़ से मुद्रित, पृ. सं 29
12. अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा, एस.सी.ओ. न. 42–44, सैक्टर 17ए, चण्डीगढ़,
13. श्री गुरू रविदास जी, 'मन चंगा तो कठौती में गंगा', 641वीं जयन्ती के अवसर पर हरियाणा, सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा द्वारा प्रकाशित एवं नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा द्वारा मुद्रित, जनवरी, 2018।